तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/ टीए/ 1131/ 2005/ भरतपुर** **भगवान सिंह व अन्य बनाम अमरसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री रामदयाल मीणा, सदस्य** **कमला अलारिया, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता अपीलांटस। श्री जे0के0 पारीक, अधिवक्ता रेस्पो0 — **निर्णय** **दिनांकः— 29.10.2025** यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 182/2003 बउनवानी अमरसिंह बनाम भगवानसिंह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03—12—2004 के विरूद्ध पेश की गई है । उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रामफल, खेमसिंह एवं होतीलाल अनपढ़ है तथा हस्ताक्षर नहीं जानते तथा वे आवश्यकता पड़ने पर अंगूठा ही लगाते है जबकि उन्हें भेजे गए कथित सम्मन पर उनके हस्ताक्षर है, जो फर्जी है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.12.2004 एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है जो अमान्य है। रामफल की मृत्यु दिनांक 18.11.2004 को हुई थी तथा इस प्रकार मृतक रामफल के विरूद्ध उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लिए बिना अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। विवादित आराजी जिसके नए खसरा संख्या 123, 125, 127 एवं 128 है जो पुराने खसरा संख्या 192, 193, 194 एवं 197 से बने है, यह स्वीकृत तथ्य है जो मिलान क्षेत्रफल से भली—भांति सिद्ध होता है तथा रामफल राज0काश्त0अधि0 के लागू होने से पहले से इस भूमि के खातेदार के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय ने वादीगण के वाद को इस आधार पर सही ढंग से खारिज किया था कि वे अपने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/ टीए/ 1131/ 2005/ भरतपुर** **भगवान सिंह व अन्य बनाम अमरसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तर्कों के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.12.2004 को निरस्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने अपील के साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाकर्ता को नोटिस दिए बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी थी तथा उन्हें विवादित निर्णय एवं डिक्री के बारे में दिनांक 28.02.2005 को जानकारी हुई, जब प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उन्हें दिनांक 03.12.2004 का निर्णय एवं डिक्री उनके पक्ष में हो गई तथा वे जल्द ही राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाकर उन्हें बेदखल कर देने की धमकी दी। तब अपीलांटस ने बिना किसी देरी के प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर यह अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश कर दी है। अतः अपील पेश करने में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत् है। बहस में आगे तर्क दिया कि विवादित आराजी पक्षकारों की पैत्रिक आराजी है जो राजस्व रिकार्ड से भली–भांति प्रमाणित है तथा प्रतिवादीगण ने विचारण न्यायालय में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से अपना दावा प्रमाणित कराया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किए बिना ही निर्णय पारित किए जाने में कानूनी त्रुटि कारित की है, जिसे अपीलीय न्यायालय ने निरस्त कर विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है, जो उचित निर्णय है। बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे इसके बावजूद मियाद बाहर अपील पेश की है तथा मियाद प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे संतोषप्रद एवं ठोस कारण नहीं है । अतः अपील मियाद बाहर होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे । हमनें उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा निर्णयों का अवलोकन किया। हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/ टीए/ 1131/ 2005/ भरतपुर** **भगवान सिंह व अन्य बनाम अमरसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस ने हस्तगत द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.12.2004 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष दिनांक 14.03.2005 को पेश की है जो निश्चित रूप से मियाद बाहर पेश की गई है। मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील पेश किये जाने की मियाद 90 दिवस है। अपीलीय न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 03.08.2004 के अवलोकन से यह स्पष्ट है की अपीलीय न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील वर्तमान अपीलांटस को हो चुकी थी इसके बावजूद अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । इससे प्रकट होता है कि अपीलांटस अपने प्रकरण के प्रति प्रारंभ से ही लापरवाह रहे है । इसके अतिरिक्त अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे भी संतोषप्रद एवं ठोस नहीं है । विधिनुसार विलंब का दिन–प्रतिदिन का कारण अंकित किया जाना आवश्यक है जिसमें अपीलांटस असफल रहे है । ऐसी स्थिति में अपील मियाद बाहर पेश किये जाने से एडमिशन स्तर पर ही खारिज योग्य पायी जाती है । परिणामतः अपील अपीलांटस मियाद बाहर पेश किये जाने एवं बावजूद तामील अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने से एवं विलंब का समुचित कारण नहीं बताये जाने से एडमिशन स्तर पर ही खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.12.2004 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(कमला अलारिया)** **(रामदयाल मीणा)** **सदस्य** **सदस्य**	